

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 423]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2015—आश्विन 28, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्र. एफ-1-बी-28-2015-चौदह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश अधीनस्थ कृषि (लिपिकवर्गीय) सेवा भरती नियम, 1972 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

- (1) उक्त नियमों में, अनुसूची-एक में, अनुक्रमांक 5 के सामने कालम (6) में विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जाए.
- (2) यह संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्र. एफ-1-बी-28-2015-चौदह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 अक्टूबर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 20th October 2015

No. F-1-B-28-2015-XIV-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Subordinate Agriculture (Ministerial) Service Rules, 1972, namely :-

AMENDMENT

1. In the said rules, in Schedule-I, against serial number-5, the existing entries in column number (6) shall be omitted.
2. This amendment shall come into force from the date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.